मोहम्मद सलाम बनाम गुलाम अली

प्रार्थी मोहम्मद सलाम पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर अपने पिता के नाम चक 07 एमएमके में दर्ज भूमि को रास्ता स्वीकृत करने हेतु जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि प्रार्थी के पिता नाम राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने पिता के नाम दर्ज आराजी के लिऐ रास्ता की मांग की गई है लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत जिस खातेदार काश्तकार के पास कृषि कार्य हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव है उसी खातेदार काश्तकार को निकटतम रास्ता दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान है। चुकिं उक्त प्रकरण में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही होने के कारण प्रश्नतगत रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया